::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्याः—8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 76 / 2018 / 1405 दिनांक 30.09.2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बरसील पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8725 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यार्वतन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी शर्त सं0 03(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम थाती डागर के खसरा सं0 6364,6365,7272 तहसील कीर्तिनगर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।

उक्त के कम में अधिशासी अभियंता, अ0ख0 लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर के द्वारा कार्यालय पत्र सं0 736 / 33 सी0 / दिनांक 07.05.2024 के द्वारा विषय वर्णित मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम थाती डागर तहसील कीर्तिनगर सिविल भूमि खसरा सं0 6364,6365 एवं 7272 की सिविल भूमि का दुगने क्षत्रफल में 3.754 हे0 भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव पर संलग्न प्रपत्र के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

| क0 सं0 | ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा सं0 | अर्जित रक्वा (हे0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | थाती डागर | डागर | 389 | 6364म0 | **2.300हे0** | उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड़ |
| | | | | 6365म0 | **0.440हे0** | |
| | | | | 7272म0 | **1.005हे0** | |
| | | | | योग | **3.745हे0** | |

प्रस्तावित खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बरसील पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882 / XXIII(II) / 11–18(120) / 2010 दिनांकः 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्याः

2365/XXIII(II)/13–18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांकः 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः2173/XXIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांकः17 दिसम्बर 2012 के कम मे उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा–3.745 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार कीर्तिगनर तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

**कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।**

संख्याः 503 / XXVI– (2013–2014) दिनांक नई टिहरी मई 13, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1:–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2:–सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3:–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
4:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5:–नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6:–प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
7:–अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।
8:–उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
9:–तहसीलदार कीर्तिनगर।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।